रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092024-256870
CG-DL-E-03092024-256870

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3424] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2024/भाद्र 12, 1946
No. 3424] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2024/BHADRA 12, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2024

का.आ. 3754(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेदई वन्यजीव अभयारण्य, गोवा के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 616 (अ) द्वारा, तारीख 25 फरवरी, 2015 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 616(अ), तारीख 25 फरवरी, 2015 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 616 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्: -

"5. निगरानी समिति. – केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(i)	मुख्य सचिव, सरकार	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(iii)	गोवा सरकार के वन और पर्यावरण, ग्रामीण विकास, कृषि, शहरी विकास, आवास, खनन, पत्तन, परिवहन तथा राजस्व विभागों के प्रमुख सचिव	सदस्य, पदेन;
(iv)	गोआ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से वन्यजीव और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	पर्यावरण या वन्यजीव जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् गोवा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट	सदस्य;
(vi)	गोवा सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् नामनिर्दिष्ट समुदाय आधारित संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	मुख्य वन संरक्षक, गोवा सरकार	सदस्य सचिव, पदेन।"

(2) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैराग्राफ 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(3) उन क्रियाकलापों की जो उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में निर्दिष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/35/2013-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 25 फरवरी, 2015 में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 616 (अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक का.आ. 3384(अ), तारीख 28 जुलाई 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2024

S.O. 3754(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around Madei Wildlife Sanctuary, Goa in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 616(E), dated the 25th February, 2015;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 616 (E), dated the 25th February, 2015;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 616(E), dated the 25th February, 2015, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:

"5. Monitoring Committee- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(i)	Chief Secretary, Government of Goa	Chairman, ex officio;
(ii)	Member-Secretary, State Pollution Control Board	Member, ex officio;
(iii)	Principal Secretary of the Government of Goa from Department of Forest and Environment, Rural Development,	Members, ex officio;

	Agriculture, Urban Development, Housing, Mining, Ports, Transport, and Revenue	
(iv)	One expert in ecology and environment from reputed institution or university to be nominated by the Government of Goa after every three years	Member;
(v)	One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife including heritage conservation to be nominated by the Government of Goa after every three years	Member;
(vi)	One representative of community based organisation to be nominated by the Government of Goa after every three years	Member;
(vii)	Chief Conservator of Forests, Government of Goa	Member Secretary, ex officio;

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure-IV, appended to this notification.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/35/2013-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 616(E), dated the 25th February, 2015 and was last amended, vide number S.O. 3384(E), dated the 28th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.03 20:18:05 +05'30'